न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 354/2016 **दायरा दिनांक : 24.10.2016**

उनवान

1— भंवरलाल आत्मज काना, जाति मीना, निवासी बालापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

2— मेघराज आत्मज छाबू लाल, जाति मीना, निवासी बालापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राज कुमार आत्मज छाबू लाल, जाति मीना, निवासी बालापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

2— सुरेश आत्मज छाबू लाल, जाति मीना, निवासी बालापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

3— बृज मोहन पुत्र मदन लाल, जाति धोबी, निवासी निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

4— राजेन्द्र पुत्र मदन लाल, जाति धोबी, निवासी निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

5— विनोद पुत्र मदन लाल, जाति धोबी, निवासी निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

6— रामजीवन पुत्र मदन लाल, जाति धोबी, निवासी निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

7— दीपक पुत्र मदन लाल, जाति धोबी, निवासी निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

8— मांगी बाई बेवा मदन लाल, जाति धोबी, निवासी निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

9— राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी तहसील छबडा

10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार व उपपंजीयक छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री साहिब लाल मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री भगवती बल्लभ शर्मा एवं उत्पल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 20/2015 निर्णय दिनांक 14.06.2016 व डिक्री दिनांक 15.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम निपानियां के खाता संख्या 253 की आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा स्थित हैष जो सन् 1981 में तत्कालीन खातेदार मदन लाल आत्मज धूलीलाल से वादी भंवर लाल

और मेघराज के पिता बाबूलाल ने जरिये विक्रय पत्र प्रतिफल देकर प्राप्त की थी, परन्तु विक्रय पत्र अनुसूचित जाति के खाते से अनुसूचित जनजाति के होने के कारण नामान्तरकरण नहीं खुल पाया । कब्जा सन् 1981 में संभला दिया गया था । 35 वर्षों से वादीगण कृषि करते चले आ रहे हैं इस कारण वे वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । वादी अपने खाते आराजी दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अतः वादग्रस्त आराजी को वादीगण के खाते में दर्ज किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी का अन्तरण न करें, खुर्द बुर्द न करें । अधीनस्थ नयायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है और तहसीलदार छबडा को आदेशित किया है कि वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रतिवादीगण को दिलवाया जाये, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि लोक अदालत में पत्रावली रखी गयी और बिना किसी राजीनामे के निर्णय पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि प्रतिवादीगण ने आराजी पर अपना कब्जा होना, काउंटर क्लेम में अवगत कराया है । उन्होंने कब्जा नहीं मांगा है । न तो दावा डिक्री है और न ही खारिज किया है और न ही काउंटर क्लेम खारिज किया है और न ही डिक्री किया है । प्रतिवादीगण ने बेदखली की सहायत नहीं मांगी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली लोक अदालत में रखी गयी । लोक अदालत की सूचना नहीं दी गई । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का है । सन् 1981 से पूर्व का बेचान है, इस कारण वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलांट का है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है । विक्रय धारा 42 बी के उल्लंघन में था । दावा विधिक रूप से खारिज किया गया है । वादीगण से न तो पैसो की लेन देन हुई है और न ही कब्जा दिया गया है । वादीगण को लोक अदालत की सूचना दी गई थी परन्तु वो उपस्थित नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखी गया । लोक अदालत में दिनांक 14.06. 2016 को वादीगण उपस्थित नहीं हुए, प्रतिवादी नम्बर 3 और प्रतिवादी नम्बर 8 मांगी बाई उपस्थित हुई है । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन अधीनस्थ नयायालय ने निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया है । निर्णय में न तो दावे को स्वीकार करना अथवा खारिज करना अंकित किया है और न ही काउंटर क्लेम को स्वीकार करना अथवा खारिज करना अंकित किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है

जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 व डिक्री दिनांक 15.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.06.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा